(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4421–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–09–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील खातेगांव, जिला–देवास के प्रकरण कमांक 3/अ–13/11–12

.....

देवीदास पिता माधवराव ब्राहम्ण,
व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम अजनास,
तहसील खातेगांव जिला–देवास

..... आवेदक

विरूद्ध

श्रुति कीर्ति विधवा दुर्गादास ब्राहम्ण,
व्यवसाय–गृहकार्य, निवासी–ग्राम अजनास
तहसील खातेगांव जिला–देवास

.....अनावेदिका

.....

श्री एम0 खान, अभिभाषक, आवेदक

श्री बृजपालसिंह सोलंकी, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/6/14 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील खातेगांव जिला–देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक 365 जो कि ग्राम अजनास तहसील खातेगांव जिला देवास में स्थित है तथा अनावेदिका की भूमि सर्वे क्रमांक 364 भी ग्राम अजनास तहसील खातेगांव जिला देवास में स्थित है के नाम है । अनावेदिका अपने घर से शासकीय रास्ते से होकर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 365 की पूर्वी मेढ़ से होकर अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 364 में जाती है । अनावेदिका उक्त रास्ते से पीढ़ीदर पीढ़ी कई वर्षों से आती जाती रही है और वही रास्ते से बैल–बखर इत्यादि निकालती रही है जिसके कारण आवेदक को असुविधा हो रही थी । असुविधा से बचाव के लिए आवेदक द्वारा उक्त रास्ते को कॉटे की बागर लगाकर अवरूद्व करने पर अनावेदिका द्वारा तहसीलदार खातेगांव, जिला–देवास के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता धारा 131 का प्रस्तुत किया तथा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने बावत् संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । न्यायालय तहसीलदार खातेगांव द्वारा प्रकरण क्र0 3/अ–13/2011–12 में दर्ज कर दिनांक 22–09–2012 को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार खातेगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–2012 से दुःखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–09–2012 को आदेश पत्रिका पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने का उल्लेख करते हुए लिखने के उपरांत पुनः दिनांक 22–09–2012 को आदेश पत्रिका लिखकर आवेदक के विरूद्व अंतरिम आदेश पारित करने में वैधानिक एवं घटनात्मक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण में आई रिपोर्ट तथा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख के विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश के विरूद्व आदेश प्रदान करने में वैधानिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सही विवेचन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों को दृष्टि ओझल कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता खुलवाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अनावेदिका द्वारा उल्लेखित स्थान पर रास्ता न होने के उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन रस्ता कायम करवाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रिकार्ड से प्रथम दृष्टया यह स्थापित है कि अनावेदिका के पास वैकल्पिक

रास्ता उपलब्ध है किन्तु उक्त तथ्यों को भी दृष्टि ओझल कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–2012 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह आधार प्रस्तुत किया है कि अनावेदिका की भूमि सर्वे क्र0 363, 364 जो कि ग्राम अजनास तहसील खातेगांव जिला देवास में स्थित है जिसमें विधवा अनावेदिका कृषि कार्य कर अपनी व अपने परिवार का पालन पोषण करती है । उक्त भूमि पर आवागमन हेतु अपने घर से शासकीय रास्ते से होकर आवेदक के नाम स्थित भूमि सर्वे क्र0 365 की पूर्वी मेढ़ से होकर अपनी भूमि सर्वे क्रं0 364 में जाती है । उक्त मार्ग अनावेदिका का पुस्तैनी परंपरागत मार्ग है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अनावेदिका पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले करीब 40 वर्षों से उक्त रास्ते से अपने कृषि उपकरण बैल बक्खर, टैक्टर आदि लाती ले जाती रही है और परंपरागत रूप से रास्ते का उपयोग करती रही है । उपरोक्त रास्ता अनावेदिका का बहीवटी मार्ग है उक्त मार्ग के अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । लिखित तर्क में यह भी बताया कि आवेदक द्वारा उक्त रास्ते को कॉटे की बागर लगाकर अवरूद्ध करने पर अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 131 भू–राजस्व संहिता प्रस्तुत किया तथा उसी के साथ अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने बावत धारा 32 भू–राजस्व संहिता का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को 3/अ–13/2011–12 में दर्ज कर अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों का विवेचन विश्लेषण कर तथा मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर गांव के पंचों और आस पास के पड़ोसी कृषकों के समक्ष पंचनामा बनाया जाकर तत्पश्चात विधि अनुसार दिनांक 22–09–2012 को अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया । आवेदक द्वारा बिना किसी आधार के मात्र अनावेदिका को, जो कि विधवा महिला है उसे परेशान व प्रताड़ित करने के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। आवेदक को अनावेदिका विधवा महिला के उक्त परंपरागत रास्ते को अवरूद्ध करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । अनावेदिका 60

वर्ष की होकर विधवा महिला है तथा उसके आय का मुख्य जरिया कृषि भूमि से आने वाली फसल है । यदि आवेदक निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से खोले हुए रास्ते को अवरूद्ध करने में सफल हो गया तो अनावेदिका अपने खेत पर नहीं पहुॅच सकेगी तथा उक्त कृषि भूमि से आने वाली फसल लेने से वंचित हो जावेगी जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी तथा उसके समक्ष भूखों मरने की नौबत आ जावेगी क्योंकि अनावेदिका के पास अपनी कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई कमाई का जरिया नहीं है तथा उक्त भूमि पर पहुॅचने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है जो कि स्थल निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है । आवेदक के अपने निगरानी मेंमों में यह कहना कि अनावेदिका के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो कि असत्य है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के स्थल निरीक्षण का पंचनामा अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जो मार्ग है उसके मध्य में नाला है जो सर्वे क्रमांक 364 को घेरे हुए है नाला पार किये बिना सर्वे क्रमांक 364 पर नहीं पहुॅच सकते है इस संबंध में न्याय दृष्टांत मधुसुदन प्रसाद विरूद्ध बालगोविन्द 1969 राजस्व निर्णय 404 का उल्लेख किया है । लिखित तर्क में यह भी कहा कि धारा 32 के संबंध में स्थल निरीक्षण के पश्चात तहसीलदार का समाधान हो जाने पर अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है इसके लिए विस्तृत जांच तथा पक्ष समर्थन की आवश्यकता नहीं है । वैकल्पिक मार्ग नहीं है और बॉधा हटाया जाना आवश्यक पाया जाये तो अंतरिम आदेश अवैध नहीं है इस संबंध में महादेव प्रसाद विरूद्ध गणपत राव 185 राजस्व निर्णय 313 का हवाला दिया है। अंत में अनावेदिका के अभिभाषक द्वारा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–2012 को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया तथा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं पाया । आवेदक को वैकल्पिक मार्ग सुझाने का अवसर दिया गया । इससे स्पष्ट है कि अन्तरिम व्यवस्था के तहत प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है । ऐवीडेंस पर अंतिम

आदेश पारित होना है । इस स्टेज पर साक्ष्य पेश नहीं हुये है तो उनकी विवेचना का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है अतः आवेदक की इस संबंध में आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है । फलतः यह निगरानी बलहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर